ISSN : 2347-8012 Peer Reviewed Rearch Journal

महिला सशक्तिकरण: महिला विकास के कार्यक्रम

डॉ. संगीता अठवाल

सहायक आचार्य, समाजशास्त्रविभाग, मो.ला.सु.वि.,उदयपुर

सुनीता बागोरिया

शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, मो.ला.सु.वि.,उदयपुर

सारांश:-

महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत महिलाओं से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता है। सशक्तिकरण की प्रक्रिया में समाज को पारम्परिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है जिसने महिलाओं की स्थिति को सदैव कमतर माना है। वैश्विक स्तर पर नारीवादी आंदोलन और यूएनडीपी आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने महिलाओं के सामाजिक समता, स्वतंत्रता और न्याय के राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। महिला सशक्तिकरण शारीरिक, मानसिक, भौतिक व आध्यात्मिक सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है।

1990 के दशक में महिला अधिकारिता यानी सशक्तिकरण पर जोर देने के साथ ही यह प्रयास भी किया गया कि महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होकर नीति निर्माण के स्तर पर भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी।

वस्तुत: महिला सशक्तिकरण का अर्थ ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें महिलाओं की अपने आपको संगठित करने की क्षमता भी बढती तथा सुदृढ़ होती है।

प्रस्तावना:-

सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि 'सशक्तिकरण' क्या है ?

'सशक्तिकरण' का तात्पर्य है 'शक्तिशाली बनाना, सशक्तिकरण को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक असमानताओं से पैदा हुई समस्याओं एवं रिक्तताओं से निपटने के रूप में देखा जा सकता है। इसमें जागरूकता, अधिकार, हकों को जानने, सहभागिता, निर्णयन जैसे घटकों को लिया जाता है।

ए.कुमार (2015)[1] महिलाओं के लिए डॉ. बी. आर. अम्बेडकर का कथन है कि भारतीय नारी श्रम से नहीं घबराती किन्तु आँसुओं की चिन्ता करते हुए वह असमान व्यवहार, शोषण से अवश्य डरती है। इसमें बाबा साहेब ने महिलाओं की वास्तविक वेदना को मुखरित किया है। महिला सशक्तिरण की आवश्यकता बहुआयामी है यह कोई पुरूष निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष विमर्श है और इसके लिए पुरूषों को भी आगे आना होगा। महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण में शिक्षा की अहम भूमिका है यह महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम एवं मूलभूत साधन है क्योंकि महिलाओं के शिक्षित होने पर जागरूकता

ISSN : 2347-8012 Peer Reviewed Rearch Journal

एवं चेतना आएगी, अधिकारों की सजगता होगी, रूढ़ियाँ, कुरीतियाँ, कुप्रथाओं का अन्धेरा हटेगा और वैचारिक क्रांति से प्रकाश पुंज फूट निकलेगा। शिक्षा के माध्यम से महिलाएँ समाज में सशक्त, समान एवं महत्वपूर्ण भूमिका दर्ज करा सकती है। इसके साथ ही अपनी आर्थिक व राजनीतिक भागीदारी भी सुनिश्चित कर सकती है जिसमें राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की महिलाओं से जुड़ी योजनाएँ महत्वपूर्ण है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:-

प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति:-इतिहास के विभिन्न कालों में दृष्टिपात करें तो पता चलता है कि स्त्रियों की स्थिति में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक बहुत परिवर्तन हुए है। समानता और समता के स्वरों के साथ स्त्री को एक वस्तु नहीं व्यक्ति के रूप में स्थान देने हेतु विगत दशकों में कई आंदोलन हुए है।

वैदिक काल-

गुप्ता (2014)[2] यह काल भारतीय समाज का स्वर्णयुग था। इसमें स्त्रियों की स्थिति अत्यन्त उन्नत थी स्त्रियाँ पर्दा नहीं करती थी। वे शिक्षा भी प्राप्त करती थी। वैज्ञानिक, धार्मिक सिद्धान्तों एवं रीतियों के संहिताकरण हेतु जनक जैसे राजाओं द्वारा आयोजित सम्मेलनों में गार्गी, मैत्रीयी, ब्रह्मवादिनी जैसी विदूषी महिलाओं का भाग लेना एवं पुरूषों से शास्त्रार्थ करना इस काल में स्त्री की उच्च स्थिति को बताता है।

उत्तर वैदिक काल-

यह वह काल था जब समाज में बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन बढ़ गया और आर्थिक दृष्टि से महिलाएं स्वतंत्र नहीं रही। इस काल में विधवा स्त्री नि:सन्देह दु:खी प्राणी बनती गई।

धर्मशास्त्र काल:-

इस काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत कमजोर एवं दयनीय हो गई। स्त्रियों में शिक्षा का पूर्ण निषेध प्रारम्भ हुआ। सती प्रथा प्रचलन के साथ ही पर्दा प्रथा प्रारम्भ हो गई। धार्मिक क्षेत्र में भेंट करने, प्रार्थना करने, तीर्थ यात्रा से वंचित किया जाने लगा। बौद्धकाल भी धर्मशास्त्र का एक भाग है। इस काल में धार्मिक क्षेत्र में स्त्रियों को स्पष्ट रूप से उत्कृष्ट स्थान प्राप्त हुआ। उनका अपना संघ बना जिसे भिक्षुणी संघ कहा गया। संघ ने स्त्रियों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों, समाज सेवा तथा सार्वजनिक जीवन में अनेक स्थलों पर भाग लेने के अवसर प्रदान किए।

मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति:-

इस काल में मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद स्त्रियों की स्थिति और भी दयनीय हो गई। ऊँची जातियों में स्त्रियों की शिक्षा प्राय: समाप्त हो गई। पर्दा प्रथा को अधिक प्रोत्साहन मिला। लड़कियों का विवाह प्राय: 8-9 वर्ष की उम्र में किया जाने लगा, स्त्रियों की स्वतंत्रता और समस्त अधिकारों को छीन लिया गया।

15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य ने प्रथम भक्ति आंदोलन का प्रवर्तन किया जिससे स्त्रियों के

जिक एवं धार्मिक जीवन में नवीन प्रवृत्तियों का सूत्रपात हुआ। चैतन्य, नानक, मीरा, कबीर, रामदास, राम आदि संतों ने स्त्रियों के संबंध में सबल पक्ष प्रस्तुत किए किंतु इन आंदोलनों से स्त्रियों की आर्थिक ति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ।

ब्रिटिश काल में महिला:-

इस काल में कुछ हद तक स्त्रियों की स्थिति सुधरने लगी और भक्ति आंदोलन के बाद ईसाई शनरियों ने स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में रूचि लेना शुरू किया। सन् 1824 में मुम्बई में प्रथम बार ड़कियों का विद्यालय प्रारम्भ हुआ। सन् 1882 के बाद ही लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने की नुमति दी गई। 1857 की राष्ट्रीय क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मी बाई के नेतृत्व में एक बार पुनः नारी की सामाजिक राजनीतिक भूमिका को रेखांकित किया है।

19वीं शताब्दी में भारतीय स्त्रियों की दुर्दशा और उनकी समस्याओं को समझते हुए उनके उत्थान के लिए सर्वप्रथम उल्लेखनीय प्रयास राजा राममोहनराय द्वारा किया गया। उन्होनें सन् 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की।

ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने सन् 1867 में प्रार्थनासभा की स्थापना की तथा सन् 1969 में प्रथम विधवा पुनर्विवाह कराया।

स्वामी विवेकानन्द सरस्वती द्वारा सन् 1876 में आर्य समाज की स्थापना की गई। वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। स्वामी विवेकानन्द ने सन् 1887 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तथा स्त्रियों को राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्रदान किए जाने पर जोर दिया।

स्वतंत्र भारत में महिलाओं की स्थिति:-

महिलाओं की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण, धर्म निपेक्षीकरण तथा जातीय गतिशीलता को इन परिवर्तनों का प्रमुख कारण माना है। कालान्तर में भारतीय समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीति आदि क्षेत्रों में महिलाओं की प्रस्थिति में सकारात्मक परिवर्तन देखे गए।

उदारीकरण एवं भूमण्डलीकरण का महिलाओं पर प्रभाव:-

शर्मा (2012)[3] उदारीकरण एवं भूमण्डलीकरण के कारण महिलाओं की प्रस्थिति में परिवर्तन हुए है। ये पहले की तुलना में अधिक आत्मनिर्भर हुई है। आज विश्व के अनेक देशों की महिलाएँ सम्मेलनों के माध्यम से एक-दूसरे के सम्पर्क में आई है। वे अपने अधिकारों के प्रति प्रयत्नशील एवं संघर्षरत है।

महिला सशक्तिकरण की वास्तविकता:-

गुप्ता (2010)[4] देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार की दृष्टि से केन्द्र सरकार में राष्ट्रीय महिला नीति बनाई और महिला सशक्तिकरण वर्ष भी मनाया। नीति निर्माण के स्तर पर ये सभी कदम महत्वपूर्ण है। लेकिन वास्तव में यह महिलाओं को कहाँ तक सशक्त कर पाये, यह कहना मुश्किल है। महिला उत्थान की अनेक योजनाएँ बनी, लेकिन आज भी महिलाएँ गरीबी, अशिक्षा, शोषण का जीवन जी रही है। आज कुछ

महिलाएँ उच्च पदों पर आसीन है परन्तु वह हमारी संतुष्टि का आधार नहीं हो सकती। अधिकांश महिलाओं को आज भी अपनी क्षमता और प्रतिभा के विकास के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।

- महिला सशक्तिकरण कैसे? टंडन, पाण्डेय (2008)[5]
- महिलायें अपने पारम्परिक कर्त्तव्यों के निष्पादन के समय प्राकृतिक वातावरण के अति निकट होती है। परिणामस्वरूप उन्हें संसाधनों का मौलिक ज्ञान होता है। अतः आवश्यक है कि पर्यावरण विकास और संसाधनों के वितरण संबंधी सभी कार्यों में महिलाओं को शामिल किया जाये।
- महिलाओं के लिए अपेक्षित रोजगारोन्मुखी अवसर निर्मित कर उन्हें अधिक से अधिक आर्थिक रूप से सबल बनाने की आवश्यकता है।
- प्रजनन तथा यौन अधिकारों में होने वाली हिंसा, उत्पीड़न एवं भेदभाव एवं को दूर करने के प्रयास करना।
- बालिकाओं में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा को महत्व देना तथा सुविधाओं में सुधार एवं विस्तार करना।
- घर, समुदाय एवं सरकारी कार्यालयों तथा निजी कार्यालयों में महिलाओं के साथ उचित व्यवहार की अपेक्षा।
- अपने निर्णय लेने में स्वतंत्रता प्रदान करना।

महिला सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण घटकः-

लवानिया (2004)[6] शिक्षा एवं प्रशिक्षणः-महिलाएँ व शैक्षिक विकास का सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महिलाओं को केवल किताबी, स्कूली आधारित शिक्षा की नहीं बल्कि अपने अंदर चेतना लाने की आवश्यकता है। चेतना, शिक्षा एवं संघर्ष से ही आ सकती है उन्हें कर्तव्यों के बारे में ही पता है। उन्हें अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए ताकि शिक्षित व अशिक्षित दोनों प्रकार की महिलाएँ अपनी योग्यतानुसार शिक्षण के द्वारा जीवन के हर क्षेत्र में चुनौती का डटकर सामना कर सके।

रोजगार व आय संवर्धनः-महिलाओं को अनेक क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। रोजगार से वह आय अर्जित करके और संसाधनों को अपने नियंत्रण में रख सकती है। नौकरी पेशा महिलाएँ आत्मनिर्भर हो जाती है। जिससे वे पुरूष की किसी भी प्रकार की ज्यादतियों का विरोध करने लगती है। आज महिलाओं के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर विभिन्न तरह से रोजगार कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। जिससे महिलाएं स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकती है या फिर नौकरी भी कर सकती है। ये सब महिला को सशक्त करना है और उसे समाज में एक पहचान देता है।

राजनीतिक नेतृत्वः-

महिला आरक्षण विधेयक के माध्यम से महिलाओं को संसद व विधानसभा में स्थान मिलने से

ायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी ने पंचायतों के स्वरूप को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण के साथ-साथ गांवों के सामाजिक आर्थिक विकास को भी पूर्णतः सुनिश्चित किया है। इस प्रकार तिक नेतृत्व से भी महिला सशक्तता पायी जा सकती है।

कानूनी सहायता:-

महिलाओं को सशक्त बनाने में न्यायालय की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। महिलाओं के साथ होने दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सर्वोच्य न्यायालय ने कई आदेश दिए है और कई कानून महिलाओं को ी रूप से जागृत करते है।

राष्ट्रीय महिला विकास योजनाएँ:-

1. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम:-

बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 22 जनवरी 2015 को ीपत, हरियाणा में इस कार्यक्रम की शुरूआत की गई थी।

2. किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला)

केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम की शुरूआत 1 अप्रैल 2011 को की गई थी।

3. इंदिरा गांधी मातृत्वसहयोग योजना:-

यह मातृत्व लाभ कार्यक्रम 26 अक्टूबर 2010 को शुरू किया गया था।

4. कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना:-

इस योजना का शुभारम्भ 2004 में किया गया था इस योजना में केन्द्र व राज्य सरकारें क्रमशः 70 प्रतिशत और 30 प्रतिशत खर्च का योगदान करेंगे।

5. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना:-

इस योजना की शुरूआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 1 मई 2016 को की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन मिलेंगे।

6. स्वाधार घर योजना:-

इस योजना को 2001-2002 में शुरू किया गया था।

7. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम:-

इस योजना की शुरूआत 1983-87 में एक केन्द्रित योजना के रूप में की गई थी।

राजस्थान में महिला विकास कार्यक्रम:-

1. मुख्यमंत्री सात सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम।

2. महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम।

ISSN : 2347-8012 Peer Reviewed Research Journal

3. महिला स्वयं सहायता समूह उत्पादन विपणन में विभाग की पहल।

4. महिला विकास कार्यक्रम।

5. स्वावलम्बन योजना।

6. सामूहिक विवाहों हेतु अनुदान।

7. जिला महिला सहायता समिति।

8. राज्य महिला आयोग।

9. जेण्डर संवेदनशील बजटिंग।

10. किशोरी शक्ति योजना।

11. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005।

12. बाल विवाह रोकथाम।

13. महिला सुरक्षा सलाह केन्द्र।

14. राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला।

15. [illegible]

16. महिला बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना-2016

17. भगवती महिला समृद्धि केन्द्र निर्माण योजना।

18. महिला शक्ति पुरस्कार।

19. चिरंजीवी योजना।

20. सहकारी स्वच्छता प्रबोधन योजना।

21. अपराजिता।

22. बाल विवाह रोकथाम।

23. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ।

निष्कर्ष :-

स्वतंत्रता से पहले और आज तक नारी को सशक्त बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं फिर भी वर्तमान के समय में नारी सशक्त नहीं है। 21वीं सदी में प्रवेश करने के बाद महिलाओं की स्थिति में कुछ हद तक सुधार आया है। आज का समाज अभी भी पुरुष प्रधान समाज है। जो कि नारियों को ऊँचे उठने नहीं दे सकता। भले ही नारी आज हर क्षेत्र में सफल है पर कहीं न कहीं उसका नारीत्व ही उसको कमजोर बनाता है। समय के साथ परिस्थितियों में बदलाव अवश्य आया है। स्वतंत्रता के बाद की बदलती हुई परिस्थितियों ने महिलाओं के शिक्षा, कैरियर और रोजगार के अवसरों में काफी वृद्धि हुई है। नारियों को पुरुष के

नागरिकों के रूप में गिना जाता है परन्तु इन्हीं के द्वारा चुनी गई सरकारों में से किसी सरकार ने अपने शासनकाल में महिला नागरिकों को उनके अधिकार दिलाने की प्राथमिकता नहीं दिखाई। सरकार की ओर से नारियों को कानूनी संरक्षण व अधिकार देने का दिखावा ही रहा है वह मात्र नारियों को भ्रमित करने का एक जरिया है। सच तो यह है कि आज भी नारी को अधिकार मिलते ही नहीं और यदि संघर्ष करने के बाद मिल भी जाते है तो वह उन्हें प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। अगर हमें नारी को सशक्त करना है तो हमें उसे पुरूषों के समान अधिकार देने होंगे। महिला को विकास की सारी सुविधा उपलब्ध कराकर उसे सुदृढ़ बनाना होगा। आज की नारी को सारे अधिकार प्राप्त होंगे तो वह सशक्त हो जायेगी। नारी को शिक्षा देकर ही उसे सशक्त किया जा सकता है।सरकार की देशभर में शिक्षा तथा उनकीमहिला सम्बन्धित योजनाओं से स्त्रियों का सशक्तिकरण अवश्य हो सकेगा। इससे उनमें आस जागृति उत्पन्न होगी और वे घर व बाहर निर्णय प्रक्रिया में भाग ले सकेंगी। नारियों के सशक्तिकरण के लिये जरूरी है कि पुरूष भी उनकी भागीदारी में सहयोग करें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. ए.कुमार सुप्रिया. (2015). समाज कार्य, सिल्वर लाईन पब्लिकेशन, 17/3 मथुरा रोड़, फरीदाबाद।
2. गुप्ता, रमणिका. (2014). स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास, प्रकाशक-सामाजिक प्रकाशन, नई दिल्ली-110002
3. शर्मा, कृष्ण कुमार. (2012). भारतीय संविधान एवं मानवाधिकार, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली-पृ. 45
4. गुप्ता, एस.पी., गुप्ता, अल्का. (2010). भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायें, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद
5. टंडन, राजेश., पाण्डेय, आलोक. (2008). पंचायती राज संस्थाओं की मानव विकासोन्मुख और जेण्डर आधारित बजट की भूमिका, प्रिया संसाधन केन्द्र, रायपुर
6. लवानिया, एम.एम. (2004). भारतीयों महिलाओं का समाजशास्त्र, रिसर्च पब्लिशर्स, जयपुर

◆◆◆